



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com फोन नं 0135-2669658 फैक्स नं 0135-2672902

विज्ञापन संख्या — 09 / उ0अ0से0च0आ0 / 2017

विज्ञापन तिथि— 03 जनवरी, 2017

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भिक तिथि—

22 जनवरी, 2017

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि—

12 मार्च, 2017

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न निगमों में समूह 'ग' के रिक्त 221 पदों हेतु निम्न विवरणानुसार सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—(आयु गणना की तिथि 01 जुलाई, 2016 है)

- उत्तराखण्ड परिवहन निगम में मैकेनिक के रिक्त 20 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
88	88.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	20 [(GEN-07,GEN(WO)-04, GEN(EX)-01, GEN(UK.A.)-01, SC-03, SC(WO)-01, OBC-02, OBC(WO)-01)] मैकेनिक आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	शैक्षिक अर्हताएं: — किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से ऑटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल) के साथ 03 वर्ष का डिप्लोमा तथा भारी वाहन (हैवी व्हीकल) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले को वरीयता।

- उत्तराखण्ड परिवहन निगम में टायर निरीक्षक के रिक्त 03 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
89	89.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	03 [(GEN-01,GEN(WO)-01, SC-01)] टायर निरीक्षक आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800	शैक्षिक अर्हताएं: —ऑटोमोबाइल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

- उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सहायक भण्डारपाल के रिक्त 07 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
90	90.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	<p>07 [(GEN-04, GEN(WO)-01, SC-01, OBC-01)]</p> <p>सहायक भण्डारपाल</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,400</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।</p>

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में सहायक भण्डारपाल के रिक्त 11 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
91	91.1	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	<p>11 [(GEN-04, GEN(WO)-02, GEN(UK.A.)-01, SC-02, SC(WO)-01, OBC-01)]</p> <p>सहायक भण्डारपाल</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— 1. साईंस में रसायन, भौतिक एवं गणित विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p>

- उत्तराखण्ड परिवहन निगम में फिटर (मैकेनिक) के रिक्त 26 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
92	92.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	<p>26 [(GEN-08, GEN(WO)-05, GEN(EX)-01, GEN(UK.A.)-02, SC-03, SC(WO)-02, SC(UK.A.)-01, ST-01, OBC-02, OBC(WO)-01)]</p> <p>फिटर (मैकेनिक)</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 4,440—7,440</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 1,400</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आई0टी0आई0 (मोटर मैकेनिक) का प्रमाण—पत्र।</p>

● उत्तराखण्ड जल संस्थान में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 15 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप—कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं व अधिमानी अर्हताएं
93	93.1	उत्तराखण्ड जल संस्थान	<p>04 [(ST-01, OBC-02, OBC(WO)-01)]</p> <p>कनिष्ठ सहायक</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. डी०ओ०ई०ए०सी०सी० द्वारा प्रदत्त ‘ओ’ प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।</p> <p>अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) नेशनल कैडेट कोर का “बी” प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
	93.2	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	<p>11 [(GEN-03, GEN(WO)-01, GEN(PH*-)-01, SC-02, SC(WO)-01, OBC-02, OBC(WO)-01)]</p> <p>कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर ऑपरेटर</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,000</p> <p>* चलन किया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगधात</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा की गति।

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में आशुलिपिक ग्रेड-III के रिक्त 27 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
94	94.1	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	26 [(GEN-08, GEN(WO)-05, GEN(EX)-01, GEN(UK.A.)-02, SC-03,SC(WO)-02,SC(UK.A.)-01, ST-01, OBC-02,OBC(WO)-01)] आशुलिपिक ग्रेड-III आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड-रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन-रु 2,600	शैक्षिक अर्हताएं: — 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. अंग्रेजी में आशुलिपिक 80 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि अनिवार्य है। 3. अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति एवं हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अनिवार्य है। (यह टैस्ट कम्प्यूटर पर लिया जायेगा)
	94.2	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	01 [(GEN-01)] आशुलिपिक / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड-रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन-रु 2,400	शैक्षिक अर्हताएं: — 1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. हिन्दी में आशुलिपिक 80 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। 3. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति (Key Depression) प्रति घण्टे की गति।

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में सहायक लेखाकार के रिक्त 10 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
95	95.1	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	10 [(GEN-04, GEN(WO)-02, GEN(UK.A.)-01, SC-01, SC(WO)-01, OBC-01)] सहायक लेखाकार आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड-रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन-रु 3,000	शैक्षिक अर्हताएं: — 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक। 2. कम्प्यूटर में हिन्दी या अंग्रेजी में दक्षता 4000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा आवश्यक है।

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में सहायक लाईब्रेरियन के रिक्त 01 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
96	96.1	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	<p>01 [(GEN-01)]</p> <p>सहायक लाईब्रेरियन</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ लाईब्रेरी साईंस में डिप्लोमा।</p>

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में टैक्नीशियन ग्रेड-II (विद्युत) के रिक्त 52 पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
97	97.1	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	<p>52 [(GEN-16, GEN(WO)-10, GEN(EX)-02, GEN(DFF)-01, GEN(UK.A.)-03, SC-06, SC(WO)-03, SC(EX)-01, SC(UK.A.)-01, ST-02, OBC-04, OBC(WO)-02, OBC(UK.A.)-01)]</p> <p>टैक्नीशियन ग्रेड-II (विद्युत)</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 2,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>2. इलैक्ट्रीशियन अथवा इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण—पत्र।</p> <p>3. सम्बन्धित कार्य का 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य। अनुभव योग्यता उपरान्त होना चाहिए।</p>

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में टैक्नीशियन ग्रेड-II (यांत्रिक) के रिक्त 39 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
98	98.1	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम	<p>39 [(GEN-12, GEN(WO)-08, GEN(EX)-01, GEN(DFF)-01, GEN(UK.A.)-03, SC-05, SC(WO)-02, SC(UK.A.)-01, ST-01, OBC-02, OBC(WO)-02, OBC(UK.A.)-01)]</p> <p>टैक्नीशियन ग्रेड-II (यांत्रिक)</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड-रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,600</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय / राज्य व्यवसायिक प्रमाण—पत्र। 3. सम्बन्धित कार्य का 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य। अनुभव योग्यता उपरान्त होना चाहिए।</p>

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक विकास अधिकारी के रिक्त 06 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
99	99.1	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	<p>06 [(GEN-01, GEN(WO)-01, SC-02, SC(WO)-01), OBC-01)]</p> <p>सहायक विकास अधिकारी</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक। वेतन बैण्ड-रु 5,200—20,200 ग्रेड वेतन—रु 2,800</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:— विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।</p>

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में कनिष्ठ लेखा निरीक्षक के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
100	100.1	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	<p>02 [(GEN-01, SC-01)]</p> <p>कनिष्ठ लेखा निरीक्षक</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 1,900</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:—1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य से स्नातक की उपाधि।</p> <p>2. कम्प्यूटर संचालन में “ओ” लेवल का सर्टिफिकेट तथा कम्प्यूटर पर 5000 की—डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घण्टा आवश्यक है।</p>

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में बिक्री कर्ता के रिक्त 02 पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

पद कोड	उप-कोड	विभाग का नाम	रिक्तियों का विवरण, पदनाम, आयु सीमा, वेतनमान व ग्रेड वेतन	अर्हताएं
101	101.1	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	<p>02 [(GEN-01, SC-01)]</p> <p>बिक्री कर्ता</p> <p>आयु सीमा— 18 वर्ष से 42 वर्ष तक।</p> <p>वेतन बैण्ड—रु 5,200—20,200</p> <p>ग्रेड वेतन—रु 1,900</p>	<p>शैक्षिक अर्हताएं:—1. इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण</p> <p>2. मार्केटिंग /कपड़ा बिक्री का राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थान का 06 माह का अनुभव।</p>

1. आयु सीमा: (1) अधिकतम आयु सीमा में छूट :

(क) शा०सं— 1399 / XXX (2) / 2015 दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को 05 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिय (केवल चिन्हित पदों के अनुसार उच्चतम् आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।) (शा० सं— 1673 / XXX (2) / 2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010)।

उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शा सं— 1244 / XXX (2) / 2005 दिनांक 21 मई, 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम् आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित सभी आंदोलनकारियों के लिए उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी। (शा०सं०-1270/तीस-२/2004 दि० 11 अगस्त, 2004, शा०सं०-776 / XX (4)-२६/उ०आन्दो०/2006-०८ (गृह अनुभाग-४) दि० 22 अक्टूबर, 2008, शा०सं०-777 / XX (4)-२६/उ०आन्दो०/2006-०८ (गृह अनुभाग-४) दि० 22 अक्टूबर, 2008 तथा शा०सं०-637 / XX (4)-२६/उ०आन्दो०/2006-०९ (गृह अनुभाग-४) दि० 13 अगस्त, 2010)।

(छ) अप्रैन्टिसशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी।

2. **शारीरिक स्वस्थता—** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेत की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—एक भाग—दो के अध्याय— तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आपेक्षित होगा।

3. **कर्मचारी भविष्य निधि एवं ग्रेच्यूटी—** चयनित अभ्यर्थी Employees Provident Fund एवं Misc. Provisions Act, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य होंगे तथा उन पर Payment of Gratuity Act, 1972 के प्राविधान लागू होंगे।

4— **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण:**— समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण एवं वैधता होना अनिवार्य होगा। (शासनादेश संख्या – 72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014)

शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-३(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार “जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।”

उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त मूल/स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।

5— **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:—

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,
- रन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो;
- परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और से इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

6—चरित्रः— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

7—वैवाहिक प्रास्थितिः— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो,

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

8—आरक्षणः—(1) **ऊर्ध्व आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिह्नित होगा।

(i) “**पूर्व सैनिक**” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः— पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) “**शारीरिक रूप से विकलांग**” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो—(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणहास (तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

टिप्पणी:- विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

(iii) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोट:- (1) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

- (2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये 3% क्षेत्रिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें तथा उसे आवेदन पत्र में यथा—स्थान अपलोड करें।

9—**शुल्क** :— ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन—पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (**Net Banking/Debit or Credit Card**) के माध्यम से जमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के ई—चालन (**E-Challan**) और **Net Banking** के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	अनारक्षित (सामान्य)	रु0 300/- मात्र
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रु0 300/- मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रु0 150/- मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	रु0 150/- मात्र
05	उत्तराखण्ड विकलांग(दिव्यांग)/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रु0 150/- मात्र

10— लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः—

क्र०सं०	पद कोड	पदनाम	पाठ्यक्रम
1.	88	मैकेनिक	चयन के लिए 100—100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो लिखित परीक्षायें होगीं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा तथा द्वितीय प्रश्न— पत्र तकनीकी विषय से सम्बन्धित होगा। प्रत्येक प्रश्न—पत्र दो घन्टे का होगा।
2.	89	टायर निरीक्षक	चयन के लिए 100—100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो लिखित परीक्षायें होगीं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा तथा द्वितीय प्रश्न— पत्र तकनीकी विषय से सम्बन्धित होगा। प्रत्येक प्रश्न—पत्र दो घन्टे का होगा।
3.	90	सहायक भण्डारपाल	चयन के लिए 100—100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो लिखित परीक्षायें होगीं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा तथा द्वितीय प्रश्न— पत्र तकनीकी विषय से सम्बन्धित होगा। प्रत्येक प्रश्न—पत्र दो घन्टे का होगा।
4.	91	सहायक भण्डारपाल	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।
5.	92	फिटर (मैकेनिक)	चयन के लिए 100—100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो लिखित परीक्षायें होगीं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा तथा द्वितीय प्रश्न— पत्र तकनीकी विषय से सम्बन्धित होगा। प्रत्येक प्रश्न—पत्र दो घन्टे का होगा।
6.	93	कनिष्ठ सहायक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। कम्प्यूटर पर हिन्दी में 4000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।
7.	94	आशुलिपिक ग्रेड—III	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होंगे। 1. अंग्रेजी आशुलिपिक 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य हैं। 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी में 4000 Key Depression प्रति घण्टा की गति अनिवार्य है।
8.	95	सहायक लेखाकार	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान से सम्बन्धित विषयों तथा 50 प्रश्न सहायक लेखाकार के पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होंगे।
9	96	सहायक लाईब्रेरियन	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान से सम्बन्धित विषयों तथा 50 प्रश्न सहायक

			लाईब्रेरियन के पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होंगे।
10	97	टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान से सम्बन्धित विषयों तथा 50 प्रश्न टैक्नीशियन ग्रेड-2 (विद्युत) पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होंगे।
11	98	टैक्नीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक)	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान से सम्बन्धित विषयों तथा 50 प्रश्न टैक्नीशियन ग्रेड-2 (यांत्रिक) पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होंगे।
12	99	सहायक विकास अधिकारी	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।
13	100	कनिष्ठ लेखा निरीक्षक	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान से सम्बन्धित विषयों तथा 50 प्रश्न कनिष्ठ लेखा निरीक्षक के पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों पर आधारित होंगे।
14	101	बिक्री कर्ता	चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा पद की वांछित न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।

- (i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $1/4$ ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (ii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (O.M.R.Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iv) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:—
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी को केवल एक **Correct/Best** विकल्प का चुनाव करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
 - (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
 - (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) तथा नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा (शासनादेश संख्या 1420 / XXX(2) / 2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011)। (उक्त की दशा में अगर किसी पद के लिए दो लिखित परीक्षाएं होती हैं

तो दो लिखित परीक्षाओं में अलग—अलग प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतालीस—पैंतालीस प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम पैंतीस—पैंतीय प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जायेगा)।

सभी अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश:

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिशिप प्राप्त मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।
3. अनुभव शैक्षिक/तकनीकी योग्यता उपरान्त (**Post Qualification**) होना चाहिए।
4. ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं यदि प्रदेश के बाहर किसी आई0टी0आई0 संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो एवं उत्तराखण्ड के बाहर अप्रैन्टिशिप किया हो, भी आवेदन के पात्र होंगे।
5. प्रशिक्षित प्रशिक्षु के नियोजन हेतु आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि की छूट अनुमन्य होगी। शिथिलता हेतु उन प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी दिशा—निर्देश का पालन किया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य सङ्क परिवहन निगम एवं अन्य के मामले में शीर्ष न्यायानल (Apex Court) द्वारा दिये गये है।
6. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आनलाइन आवेदन पत्र में विभागाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी अनापात्ति प्रमाण—पत्र (NOC) उल्लेख करना होगा, व किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है तथा NOC की मूल प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगे।
7. सहायक लेखाकार को एम0एस0 ओफिस/टंकण आदि की दक्षता परीक्षा (Skill Test) जहां लागू हो, कम्प्यूटर पर ली जायेगी एवं अर्हकारी (Qualifying) प्रकार की होगी तथा चयन हेतु अभ्यर्थी को उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
8. पदकोड—98 उपकोड—98.1 एवं पदकोड—99 उपकोड—99.1 में अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन पत्र में भी अनुभव अंकित किया जाना होगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11— उपरोक्त पदों हेतु अन्तिम चयन लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा किन्तु जिन पदों पर आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जानी है। उनके लिए अभ्यर्थी को उक्त आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्तिम चयन आशुलिपिक लेखन एवं कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से केवल लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में पहले उनकी आयु के आधार पर मैरिट का निर्धारण होगा।

12— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें और तत्पश्चात् ही आवेदन करें यदि किसी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने सही सूचना नहीं दी है या निर्देशों का पालन नहीं किया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13— ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि— 14 मार्च, 2017

14— ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि— 12 मार्च, 2017

15— रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

अतिमहत्वपूर्ण सूचना—

1. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है, तो उसे विभागों के पृथक—पृथक पदों (पदकोड) हेतु पृथक—पृथक शुल्क जमा कर पृथक—पृथक आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी पृथक—पृथक विभागों के एक ही प्रकृति/पदकोड के पदों हेतु आवेदन करना चाहता है, तो उसे अपने आवेदन पत्र में विभागों को क्रमानुसार वरीयता क्रम में स्वयं भरना/इंगित करना अनिवार्य होगा।
3. उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रकरण वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही आन्दोलनकारियों को वांछित आरक्षण का लाभ दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
4. परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. दृष्टिहीनता या कम दृष्टि विकलांग व्यक्तियों/अभ्यर्थियों के लिए बीस मिनट का अतिरिक्त समय और प्रश्न—पत्र से रेखागणित और गणित के अपवर्जन का उपलंध किया जाएगा और रेखागणित तथा गणित के स्थान पर कुछ अनुकल्प प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा।

सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
देहरादून